कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– अनु–प्रथम / बी / 2020 / 163 दिनांक : 02 .07.2020

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(6) प्र.सु. / अनु.–3 / 2017 दिनांक 16..06.2020 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड–द्वितीय (वर्तमान पदनाम-कनिष्ठ सहायक) पद की परीक्षा, 2013 में उत्तीर्ण निम्न अभ्यर्थियों को अधिनस्थ कार्यालय हेतु चयनित कर इस विभाग में अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर निम्न शर्तों पर नियुक्ति प्रदान कर उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापन किया जाता है । अभ्यर्थी राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 7(2)डीओपी / ए–2 / 05 दिनांक 20.01.2006 के अनुसार कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रहेंगे। इस अवधि में इन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर मासिक भुगतान (रूपये 14600.00 प्रतिमाह) देय होगा तथा अन्य प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा। परीवीक्षाकालीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ. 15(1)वित्त / नियम / 2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार पे मैट्रिक्स के लेवल–5 के अनुसार न्यूनतम वेतन 20800/– एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे ।

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम	जन्म दिनांक	मेरिट संख्या	नियुक्ति / पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री विष्णु पॉचाल पुत्र श्री रामदास पॉचाल (GEN)	15.10.1992	947	सा.नि.वि., सम्भाग–प्रथम, जयपुर
2	श्री सुनील कुमार शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द्र शर्मा (GEN)	05.04.1994	1079	सा.नि.वि. वृत दौसा
3	श्री स्नेह प्रकाश पुत्र श्री ओंकार मल (OBC)	10.05.1991	1114	परियोजना निदेशक(पीपीपी) सा.नि.वि. सीकर

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में कार्यग्रहण करना हो निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही नि माने जायेंगे ।
2. अभ्यर्थियों को जिन कार्यालयों में नियुक्ति पत्र के अनुसार कार्यग्रहण (Joining Report) क हो उस कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता (Compute/Typing संबंधी), आयु व अन्य किसी (जैसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / ओ.बी.सी. / एम.बी.सी. / विकलांग आदि) के सम्बन्ध आवश्यक मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त करके संतुष्टी कर लें कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में दी सूचना सही है । सभी दस्तावेजों / प्रमाण–पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण–पत्र सहित) की र प्रतियां (Certified/Self Attested Documents) आवश्यक रूप से प्राप्त कर ली जावे।
3. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व ओ.बी.सी. एवं एम.बी.सी. वर्ग का प्रमाण–पत्र सक्षम अधिक

के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हो।

4. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह सम्ब प्रमाण–पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं सन्तान सम्बन्धी शपथ–पत्र {कार्मिक (क–2) वि द्वारा} निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ति करावें । इसके साथ ही अभ्यर्थी से विवाह के समय दहेज लिए जाने सम्बन्धी शपथ–पत्र एवं धूम्रपान नहीं करने सम्बन्धी शपथ–पत्र भी आवश्यक रूप प्राप्त किया जावे ।
5. गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र का आवश्यकता अनु अनुसरण किया जावे ।
6. नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात यदि प्रार्थी नियमानुसार नियत अवधि में कार्यग्रहण करता है तो अभ्यर्थी का आवेदन फार्म इस कार्यालय को लौटाएं ।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन (सक्षम पुलिस अधिव द्वारा जारी) नियमानुसार अपने स्तर से करवाया जाना सुनिश्चित करें ।
8. अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अ सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।
9. अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से मान्य हो
10. यह नियुक्ति राजस्थान सेवा नियमों एवं उक्त नियमों के समय–समय पर संशोधित सेवा नियमों अधीन रहेगी ।
11. उपस्थिति पर कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा ।
12. उपस्थिति देने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना ह जो उनके सम्बन्धी न हो तथा छः माह से अधिक पुराना नहीं हो ।
13. उपस्थिति ग्रहण कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिकारी (हैड ऑफ ऑफिस) नियमानुसार कर्मचारी भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरवाकर प्राप्त करेंगें।
15. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.1.2004 27.3.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो र सरकार द्वारा जारी किये गये हों उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे ।
16. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित मा (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण– भी प्रस्तुत करना होगा ।
17. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो वि उनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगा ।
18. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है । अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी ।
19. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ अभ्यर्थी से पूर्व में अथवा बाद में कार्यभार ग्र करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इनकी वरिष्ठता का निर्ध राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्राप्त मेरिट सूची के आधार पर ही होगा ।
20. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशो प्रावधानों के अनुसार देय होंगे ।

(चिन्न हरी मीना)
मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त सचिव
सा0 नि0 वि0, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प. 72(3)/अनु.प्रथम/बी/2020/डी– 163   दिनांक :02.07.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक प. 1(2) प्र.सु./अनु.–3/2020 दिनांक 18..06.2020 के क्रम में ।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सा.नि.वि., सम्भाग–.................................
3. अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., वृत–...
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि.,खण्ड– ....
5. सहायक अभियन्ता, सा.नि.वि., उपखण्ड– ....
6. श्री ...., निवासी ....
....
....
7. निजी सचिव, मु.अ./व्यक्तिगत/रक्षित पत्रावली ।

02.07.2020

(अक्षय कुमार जैन)
अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहा. प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0, जयपुर